संख्या-21/2021/249/52-1-2021-12(एम0एस0डी0पी0)/2013

प्रेषक,

शिवाकान्त द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2021

विषय– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 59वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद मुरादाबाद के ओवरी गांव में पेयजल आपूर्ति योजना केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(12)/2012- पी0पी0-। दिनांक 03.12.2012 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-जी0आई0-85(25)/52-1-2013-12(एम0एस0डी0पी0)/2013, दिनांक 24 जून, 2013 द्वारा उक्त योजना के निर्माण हेतु **सी0 एण्ड डी0एस0** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-जी0आई0-344/52-1-2013-01 (एम.एस.डी.पी.)/2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा उक्त योजना का कार्य पूर्ण करने हेतु शासन से नामित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को परिवर्तित कर उसके स्थान पर **उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संख्या-13/189/2017एम0एस0डीपी0-मो0मा0 दिनांक 27.02.2018 से जनपद मुरादाबाद के आवेरी गांव में स्वीकृत पेयजल आपूर्ति योजना लिए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 236.93 लाख के सापेक्ष **द्वितीय किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 118.465 लाख (रू0 एक करोड़ अठ्ठारह लाख छियालिस हजार पांच सौ मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि रू0 39.49 लाख (रू0 उन्तालीस लाख उन्चास हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 157.955 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तावन लाख पन्चानबे हजार पांच सौ मात्र) योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित बजट रू0 15000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है :-

http://srisaraladesh.up.gov.in

(केन्द्रांश-75/राज्यांश-25) (रूपये लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के+रा0)	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त		कुल धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	मुरादाबाद	ओवरी गांव में पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति योजना	1	315.90	236.93	78.98	157.955	118.465	39.49	157.955
		योग	1	315.90	236.93	78.98	157.955	118.465	39.49	157.955

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ** के निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष गुणवत्ता सहित निर्माण कार्य माह में पूरा कर लिया जायेगा। कार्य को कुल अनुमोदिल धनराशि से ही पूर्ण किया जाना है। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6)- कार्य की विशिष्टयॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आई0टी0आई0 भवन के निर्माण का मानक व डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी ।

(8)- धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(9)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 03.12.2020, 29.09.2020, 24.03.2020, 22.03.2019 एवं 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(11)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(17)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा तथा गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जाय।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**"0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना-(के० 60 /रा० 40-के०+रा०)-24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-12/2020/बी-1706/दस-2020-231/2020, दिनांक 09.12.2020 के प्रस्तर-2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

UniCode Gov. Inter College. G.O1

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-249(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत जल आपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, पंचायतीराज/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 जल निगम लि0 लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी **मुरादाबाद** ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in